न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश,ग्वालियर (म.प्र.)

R 91-PB2/17

पुनरीक्षण याचिका कं :–

श्रवण दिनांक :–

प्रस्तुति दिनांक :– 3/1/2017

1. श्रीमति किरणबाई आयु 55 वर्ष पति स्व.सुखलाल कृषक ग्राम हरदा निवासी ग्राम धुलकोट,तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर म.प्र.

श्री ... द्वारा आज दि. 3-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

—— पुनरिक्षणकर्ता/अनावेदिका

–विरूध्द–

1 प्रेमसिंग आयु 50 वर्ष पिता रामसिंग निवासी ग्राम हरदा तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर म.प्र. —— प्रत्यर्थी/आवेदक

<u>पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं 1959</u>

याचिकाकर्ता निम्नलिखित निवेदन करती है कि :–

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, नेपानगर द्वारा उनके समक्ष प्रचलित रा.प्र.कं. 3 अ–70 वर्ष 2015–16 प्रेमसिंग विरूध्द किरणबाई मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.10.2016 धारा 250(3) म.प्र.भू.रा.सं से व्यथित एवं पीडित होकर विधिक एवं तथ्यात्मक आधारो पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करती है–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 91–पीबीआर / 17 जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–3–2017	आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–10–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन कियाः गया । तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250(3) के अन्तर्गत अंतरिम आदेश पारित करते हुये प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक को दिलाये जाने संबंधी आदेश पारित किया गया है । संहिता की धारा 250(3) में इस प्रकार का अंतरिम आदेश पारित किये जाने का प्रावधान है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कारण नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	